ISSN 2455-6181

वर्ष : 14, अंक : 8 अगस्त 2016 ₹ 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

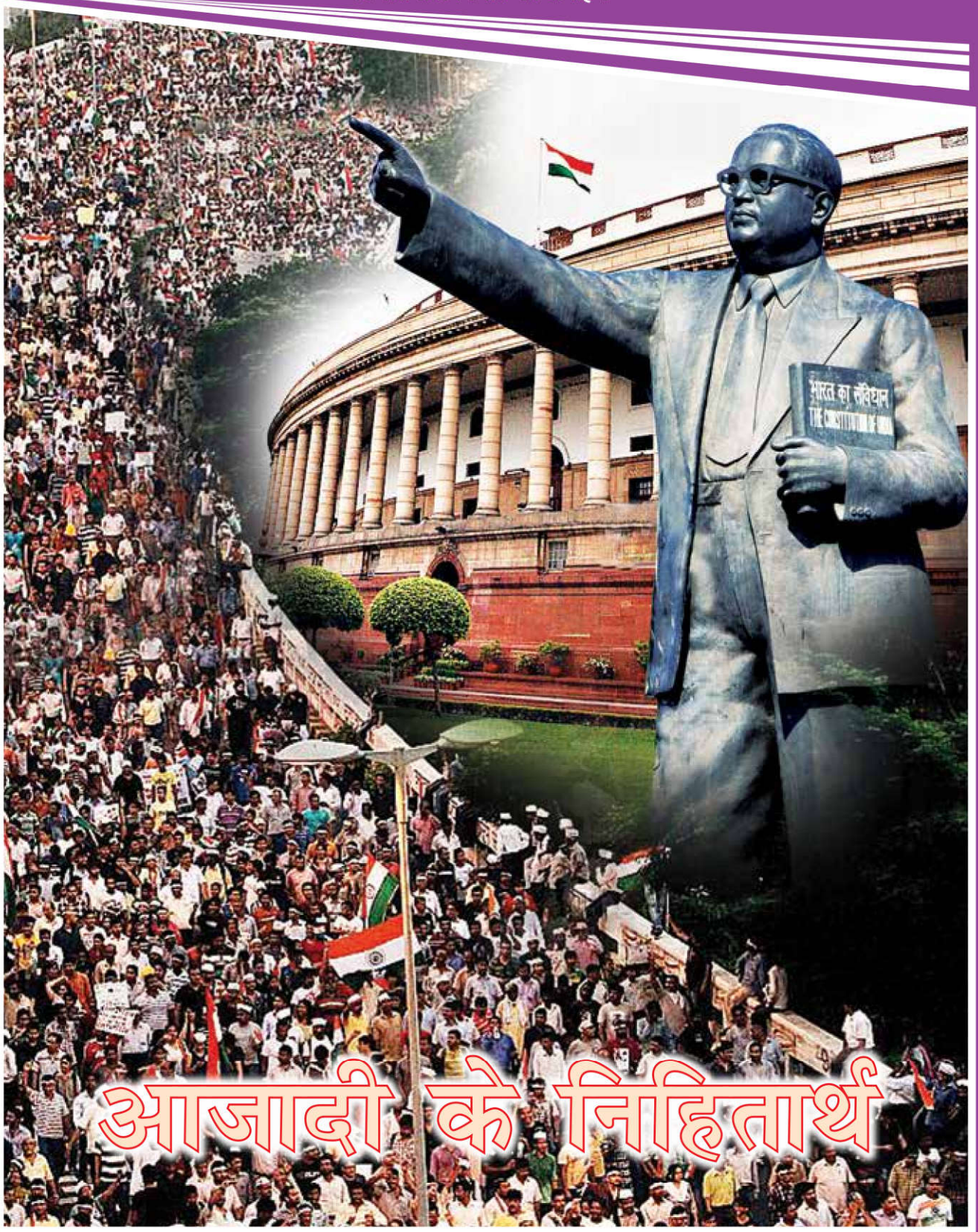

आजादी के निहितार्थ

विशेष लेख

डॉ. अम्बेडकर का नारीवादी चिंतन

■ मनोज कुमार गुप्ता

नारी समस्या और अस्मिता का प्रश्न भारत सहित दुनियाभर में चिंता का विषय रहा है। जो वर्तमान में भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने है। 20वीं सदी का शुरुआती दौर ऐसा दौर था, जब एक तरफ पश्चिम में महिला मताधिकार को लेकर आंदोलन ज़ोरों पर था तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ रही थी। परंतु महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी संकीर्णता और शोषण समानांतर चल रहे थे। हालांकि इन कुरीतियों और संकीर्णताओं को समाप्त करने के लिए समाज सुधार आंदोलन भी हुए, पर ये महिला शोषण की तह तक नहीं जा पाये। डॉ. अम्बेडकर संभवत: पहले ऐसे भारतीय सामाजिक चिंतक हुए, जिन्होंने महिलाओं की समस्या को जेंडर दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। डॉ. अम्बेडकर के नारीवादी चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज की सभी महिलाएं थीं। यह अध्ययन अम्बेडकर के नारीवादी चिंतन और महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयासों को उद्धृत करता है।

भारतीय संदर्भ में जब भी सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक असमानताओं और उसमें सुधारों के मुद्दे पर चिंतन हो रहा हो तो डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। उनका पूरा जीवन भारतीय समाज की रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर आधारित संकीर्णताओं और विकृतियों को दूर करने पर ही केंद्रित रहा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरफ जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से अनुप्रेरित अपने अहिंसक जन-आंदोलन के द्वारा देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता से मुक्त कराया तो वहीं दूसरी तरफ डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन की लहर के बल बूते हजारों वर्षों से उत्पीड़ित दलित एवं हाशिये के लोगों को स्वाधीनता एवं स्वाभिमान से जोड़ने का महान कार्य किया। "डॉ. अम्बेडकर भारत में एक ऐसे वर्गविहीन समाज की संरचना चाहते थे, जिसमें जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद तथा ऊंच-नीच का भेद न हो और प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वाभिमान और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।" उनके चिंतन का केंद्र महिलाएं भी थीं क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में महिलाओं पर धार्मिक और सांस्कृतिक आडंबरों के आधार पर शोषण किया जा रहा था।

हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लिए कुछ समाज सुधार आंदोलन हुए, जिनमें बाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह, देवदासी प्रथा आदि मुद्दे प्रमुखता से शामिल थे। लेकिन अम्बेडकर स्त्री-पुरुष समानता के समर्थक थे, वे महिलाओं को किसी भी रूप में पुरुषों से कमतर नहीं मानते थे। बंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था "नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है, नारी

भारतीय संदर्भ में देखा जाय तो अम्बेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने ने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। यह वह समय था जब, यूरोप के कई देशों में प्रथम लहर का महिला आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका था, जो मुख्य रूप से महिला मताधिकार के मुद्दे पर केंद्रित था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाएं भी खुलकर भाग लेने लगीं थीं।

को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है।" डॉ. अम्बेडकर महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाना चाहते थे। जिससे महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर समानता का हक मिल सके। इस शोध पत्र में डॉ. अम्बेडकर के उन विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे नारीवादी चिंतन के प्रति भी उतने ही प्रतिबद्ध थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

उद्देश्य- इस शोध आलेख का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर के भारतीय नारीवादी चिंतन के विविध आयामों और प्रयासों का अध्ययन करना है।

भारतीय नारीवादी चिंतक डॉ. अम्बेडकर

भारतीय नारीवादी चिंतन और अम्बेडकर के महिला चिंतन की वैचारिकी का केंद्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं ही थीं। जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही हैं। वर्ष 1916 में अम्बेडकर ने मानवविज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डेंविसर द्वारा कोलम्बिया विश्वविद्यालय, यू. एस. ए. में आयोजित सेमिनार में "कास्ट इन इंडिया: देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट" शीर्षक से पत्र पढ़ा जो जाति और जेंडर के बीच अंतरसंबंधों की समझ पर आधारित था। भारतीय संदर्भ में देखा जाय तो अम्बेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। यह वह समय था जब, यूरोप के कई देशों में प्रथम लहर का महिला आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका था, जो मुख्य रूप से महिला मताधिकार के मुद्दे पर केंद्रित था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाएं भी खुलकर भाग लेने लगीं थीं। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी इसी दौरान उठाए जाने लगे थे और साथ ही महिलाओं ने अपने स्वायत्त संगठन भी बनाने शुरू कर दिये थे।

महिला सशक्तिकरण के बारे में डॉ. अम्बेडकर का विचार अन्य समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या महात्मा गांधी आदि से बिलकुल अलग था, क्योंकि ये लोग धार्मिक परंपराओं और सामाजिक श्रेणीबद्धता में कुछ मूलभूत सुधारों से महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहते थे। जबकि डॉ अम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य उस जातीय पदानुक्रम की वैचारिक नींव को चुनौती देना भी था जिसमें हिंदू समाज की महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा से वंचित किया जाता है।" अम्बेडकर के समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब स्थिति में था। उनका मानना था कि शिक्षा त्वरित परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करती है। "डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता की आवाज को मुखर करने के लिए वर्ष 1920 में 'मूकनायक' और 1927 में 'बहिष्कृत भारत' जैसे समाचार पत्रों की शुरुआत की।" अपने लेखन के माध्यम से बाबासाहब हिंदू समाज में व्याप्त जेंडर असमानता और महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने जैसे मुद्दे को रेखांकित करते थे। इन समाचार पत्रों के माध्यम से अम्बेडकर ने महिला मुद्दों से जुड़े आंदोलन की शुरुआत की।

द हिंदू समाचार पत्र में राही गायकवाड़ ने अपने लेख नीड फॉर फेमिनिस्ट टू रिक्लेम अम्बेडकर सीन में कहा है की नारीवादी चिंतन को जेंडर और जाति के आधार पर महिलाओं की स्थिति पर बात करते समय एक बार अम्बेडकर के चिंतन को नए रूप में देखने और समझने की जरूरत है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है "कास्ट इज एंडगामी एंड एंडगमी इज कास्ट।" उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार मूल जाति और पुनरुत्पादन जेंडरगत हिंसा पर टिकी है।

महिला आंदोलन और डॉ. अम्बेडकर

20वीं सदी के शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति दर्ज होने लगी थी। चाहे वर्ष 1905-08 के दौरान बंगाल में चले स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भूमिका हो या 1909 में लाहौर में हुई औद्योगिक प्रदर्शनी में स्त्रियों द्वारा अपना अलग 'महिला खंड' स्थापित करना (पृ.98,

स्त्री संघर्ष का इतिहास) आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। लेकिन तीसरे चौथे दशक तक आते-आते राष्ट्रीय आंदोलनों के समानांतर कई अलग-अलग स्वायत्त महिला संगठनों और आंदोलनों की नींव पड़ चुकी थी। सभी का केंद्रीय प्रश्न महिलाओं की समस्याएं ही थीं।

भारतीय महिला आंदोलन की बात करते समय भारत की पहली शिक्षा नेत्री और अध्यापिका सावित्रीबाई फुले का जिक्र करना बहुत ही आवश्यक है। महिला आंदोलन के बीजारोपण में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। "भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिए उन्होने 1852 में 'महिला मंडल' का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुआ भी बन गई।" इस संगठन ने बाल विवाह, विधवा स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों के विरोध में स्त्रियों को तथा अन्य समाज को मोर्चाबन्द कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। डॉ. अम्बेडकर ने भी महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्त्व एवं समर्थन किया। डॉ. अम्बेडकर ने समाज की प्रगति में महिलाओं के महत्त्व को समझते हुए कहा है- "मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।" दलित महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी उन्हें जेंडर के साथ-साथ जाति आधारित शोषण का भी सामना करना पड़ता था। इसीलिए अम्बेडकर ने सवर्ण महिलाओं की समस्याओं के साथ-साथ दलित महिलाओं के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया।

अम्बेडकर ने अपने अछूतोद्धार आंदोलन का आरंभ "20 जुलाई 1924 को मुंबई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना से किया" इस सभा में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के साथ-साथ दलित बस्तियों में स्कूल और छात्रावास की स्थापना करना था। इस सभा में दलित महिलाएं भी शामिल हो रही थीं जो अब तक साहस बटोरकर मंच पर आकर अपने शोषण और पीड़ा को सार्वजनिक रूप से बतलाने लगीं थीं। वर्ष 1927 में अम्बेडकर के नेतृत्त्व में महाड़ में चावदार तालाब के पानी को दलितों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के विरोध में सैकड़ों दलित महिलाओं ने विशाल सत्याग्रह में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 25 दिसंबर, वर्ष 1927 को महाड़ के ऐतिहासिक सम्मेलन में हजारों महिलाओं के साथ डॉ. अम्बेडकर महिलाओं को नरकीय जीवन में धकेलने वाली मनुस्मृति को जलाकर महिलाओं में क्रांति का बिगुल बजाया।" अम्बेडकर की धर्म पत्नी रामाबाई अम्बेडकर की अध्यक्षता में वर्ष 1928 में मुंबई में महिला मण्डल की स्थापना हुई। 1942 में नागपुर में अम्बेडकर द्वारा 'अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट' की स्थापना की गयी और उसी वर्ष सुलोचना डोंगरे की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमें लगभग दस हजार महिलाओं ने भाग लिया। (दलित महिलाएं, पृ. 144)। यह आयोजन बहुत सफल रहा। इन आयोजनों और संगठनों ने अम्बेडकर जी के आंदोलन में अपना अमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जिसकी सराहना अम्बेडकर ने की। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि महिला आंदोलनों को बढ़ाने में अम्बेडकर का सराहनीय योगदान रहा। अम्बेडकर के उत्तरोत्तर बढ़ते सामाजिक संघर्ष के साथ ही महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ रही थी।

वर्ष 1927 में ए.आई.डब्ल्यू.सी. का गठन हुआ। यह संगठन 19वीं सदी के

समाज सुधार आंदोलनों की सुधारवादी धारा से उपजा था। जो थोड़े ही समय में उच्च वर्गीय एवं उच्च वर्णीय महिलाओं का प्रतिनिधि संगठन बन गया। "वर्ष 1945 तक ए.आई.डब्ल्यू. सी. ने 'भारतीय महिलाओं के अधिकार का घोषणा पत्र' सूत्रबद्ध किया" घोषणा के माध्यम से निजी सुधार के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह, बच्चों पर समान अभिभावकत्व जैसे सुधारात्मक घोषणाओं के द्वारा ठोस बनाया गया था।

परंतु ये सभी मांगे पितृसत्तात्मक हिंदूवादी परंपरा के परस्पर विरोधी थीं। इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया जिसने ए.आई.डब्ल्यू.सी. की महिलाओं को कांग्रेस की आंतरिक एवं बाह्य पुनुरुत्थानवादी ब्राह्मणों के सामने ला दिया। यद्यपि 1940 में अम्बेडकर कमेटी द्वारा प्रस्तावित हिंदू संहिता विधेयक (हिंदू कोड बिल) के समर्थन में ए.आई.डब्ल्यू.सी. की महिलाओं ने व्यापक अभियान चलाया जिसका तथाकथित राष्ट्रवादी नेताओं और ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक ताकतों द्वारा कड़ा विरोध किया गया।

अम्बेडकर चिंतन में नारी समता

लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर और संविधान निर्माता के रूप में उनका योगदान स्मरणीय है। उनकी दूरदर्शिता पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता क्रांति के अतिवाद और सामाजिक आतंकवाद को मूल रूप से नष्ट कर सकती है। स्त्रियों, अछूतों एवं समाज के अन्य वंचित लोगों की शिक्षा और समानता को लेकर उनकी चिंताएं आज भी उतनी ही विचारणीय लगती हैं। नारी समता और अधिकार के प्रश्न पर उनका रुख समाजवादी कहा जा सकता है। अम्बेडकर के चिंतन में हर वर्ग की स्त्रियों की भलाई की बात शामिल थी। उनके मुताबिक स्त्री की दशा एवं उसके अस्तित्व का प्रश्न जाति, धर्म के बंधन से परे था, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की दशा एक समान है। वर्ष 1942 को नागपुर में हुई डिप्रेस्ड क्लासेस वूमैन कांफ्रेंस में बतौर विशेष अतिथि डॉ. अम्बेडकर ने इसे संबोधित करते हुए कहा था "यदि महिलाएं आश्वस्त हो जाएं तो वे भारतीय समाज की दशा सुधार सकती हैं। मैं इसका साक्ष्य स्वयं अपने अनुभव से दूंगा। इसी आशय से मैं महिलाओं के प्रश्न पुरुषों के बीच उठाने जा रहा हूं। मुझे खुशी होगी जब मैं असेंबली में स्त्री-पुरुष दोनों को समान प्रगति करते देखूंगा। वही प्रगति हमारी सच्ची प्रगति होगी।" इन बातों से साफ संकेत मिलता है कि वास्तव में वे स्त्री-पुरुष समानता से ही राष्ट्र और समाज के विकास एवं उत्थान का सपना देखते थे। बहिष्कृत भारत में डॉ. आंबेडकर ने अपनी नारीवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हुए हिंदू धर्म में महिलाओं कि स्थिति पर बड़े ही उग्र रूप में कहा था "हिंदू लोग देवताओं के बाद स्त्री को पूजनीय मानते हैं, पर अस्पृश्य बहनों को बेइज्जत करके उन्होंने क्या किया? 'गाय' की आत्मा मानते हैं लेकिन स्त्री में भी आत्मा है ऐसा क्यों नहीं सोचते। स्त्री उनके भोग और आनंद की वस्तु भर क्यों है? इसलिए उसे वस्त्राभूषणों, श्रृंगार सौंदर्य से तैयार किया जाता है। या फिर वह घर की लक्ष्मी है।" यह बातें स्पष्ट संकेत देती हैं कि अम्बेडकर के चिंतन में नारी प्रश्न सर्वोपरि था।

> **"नारी समता और अधिकार के प्रश्न पर उनका रुख समाजवादी कहा जा सकता है। अम्बेडकर के चिंतन में हर वर्ग की स्त्रियों की भलाई की बात शामिल थी। उनके मुताबिक स्त्री की दशा एवं उसके अस्तित्व का प्रश्न जाति, धर्म के बंधन से परे था, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की दशा एक समान है।"**

वैधानिक अधिकार और समानता

डॉ. अम्बेडकर मुख्यत: भारतीय हिंदू महिलाओं जिसमें सवर्ण एवं दलित दोनों शामिल थीं की समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं वैधानिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। वे नारी उत्थान को समग्रता में देखते थे। साथ ही वे राष्ट्रीय एकता को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं स्त्री-पुरुष से जोड़कर नहीं देखते थे। उनके इस दर्शन का प्रभाव भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप में दिखाता है। भारतीय संविधान में व्यक्ति एक इकाई है तथा उसके आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की स्वतंत्रता को संविधान में मूलभूत अधिकारों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। वे महिलाओं की हर समस्या से परिचित थे और उसका निदान करना चाहते थे। 28 जुलाई 1928 मुंबई विधान परिषद में कारख़ाना एवं अन्य संस्थाओं में मजदूर

महिलाओं को प्रसूति अवकाश संबंधी बिल पर अपना विचार रखते हुए कहा था- "महिलाओं को प्रसूति अवकाश सुविधा प्रदान करना राष्ट्रीय हित में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इससे शासन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं उनके वेतन कटौती का पक्षधर नहीं हूं। यह महिलाओं का उनका अपना अधिकार है, जिसकी प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए।" उनके इस विचार से सदन प्रभावित हुआ और प्रसूति अवकाश बिल पारित हुआ। हिंदू कोड बिल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का बेहद महत्त्वपूर्ण विधेयक साबित हुआ, जो अम्बेडकर के योगदान का ही परिणाम है। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी नागरिकों (स्त्री-पुरुष) को बिना किसी प्रकार के भेदभाव मौलिक अधिकार, समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक असमानताओं को समाप्त करने के प्रयास में डॉ. अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक लगे रहे। अम्बेडकर समतामूलक समाज की कल्पना करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो, वे अपने सामाजिक चिंतन और कार्यों का परिणाम एक ऐसे समाज के रूप में देखना चाहते थे जहां जाति, धर्म, लिंग एवं वर्ग किसी भी स्तर पर असमानता न हो। सबको समान न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय समाज में महिलाओं कि स्थिति को लेकर भी वे बहुत चिंतित थे। महिला प्रश्नों को बहुत ही गहराई से समझते हुए अम्बेडकर ने पाया कि महिलाओं के शोषण और सामाजिक असमानता में जाति और धर्म के साथ-साथ जेंडर प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए महिला हितों में उनके द्वारा किया गया कार्य मात्र सुधारात्मक ही नहीं रहा बल्कि उन्होंने सैद्धांतिक एवं वैधानिक स्तर पर महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता दिलवाने का प्रयास किया। इसे उनके प्रयासों का विस्तार ही कहा जा सकता है कि आज स्त्रियों को शिक्षा, व्यवसाय, जीवन साथी चुनने के साथ-साथ राजनैतिक सहभागिता और प्रतिनिधितत्व का अधिकार प्राप्त है। इन संदर्भो से स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर का भारतीय नारीवादी चिंतन में विशेष योगदान रहा है।

संदर्भ सूची-

- डॉ. जोशी, गोपा, (2006), भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली वि.वि., नई दिल्ली

- डॉ. आंबेडकर, बी.आर., डॉ. अज्ञात, सुरेन्द्र (अनु.), (2012), प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

- डॉ. सुमन, मंजू, (2013), दलित महिलाएं, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

- प्रो. शुक्ला, आशा - त्रिपाठी, कुसुम, (2014), स्त्री संघर्ष के मुद्दे (भारतीय एवं पाश्चात्य संदर्भ), महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल

- डॉ. मित्तल, सतीश चन्द्र, (2012)। भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास (1758ई. -1947 ई.), हरियाणा ग्रंथ अकादमी, पंचकूला

- Barnwal, Bijay K., Dr. B. R. Ambedkar's Quest for Gender Equality It's Relevance in Contemporary Feminist Discourse_ (Online International Interdisciplinary Research Journal] {Bi&Monthly}] ISSN2249&9598] Volume&IV] Issue&II] Mar&Apr 2014)